संख्या-12/2016/क0नि0-4- 348/11-2016-300(28)/2015

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार वर्मा,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

अध्यक्ष,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 लखनऊःदिनांक 01 अप्रैल,2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में वाणिज्य कर अधिकरण के आयोजनेत्तर व्ययों को वहन करने हेतु प्राविधानित धनराशि को विभागाध्यक्ष के निर्वतन पर अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-के अन्तर्गत-04-वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान में प्राविधानित धनराशि रू0 207392 हजार (रू0 बीस करोड़ तिहत्तर लाख बान्नवे हजार मात्र) को संलग्न मदवार विवरण के अनुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) जिन मदों पर व्यय के संबंध में शासन की पूर्व अनुमति आवश्यक हो उस पर यथा समय शासन की सहमति प्राप्त कर ली जाय।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय नई सेवाओं/मदों पर शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का अनुपालन तथा ऊपर प्रस्तर-1 में उल्लिखित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 22.03.2016 के प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
उप सचिव।

संख्या-12/2016/क0नि0-4-348 (1)/11-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद ।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।